5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

153

निगरानी 541-III-15

न्यायालयः– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक /2015 निगरानी

1. मयाराम
2. कन्धैई
3. छोटा

पुत्रगण दयाराम बघेल

4. कुअरपाल
5. रमेश
6. होतम

पुत्रगण बलुआ बघेल

निवासीगण ग्राम धमधोली तह. नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

——— आवेदकगण

श्री एस. पी. ... द्वारा आज दि. 17/03/15 को प्रस्तुत
17-3-2015
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

मालती पत्नि रामजीलाल कुशवाह निवासी ग्राम मकोड़ा कृषक धमधोली तह. नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनावेदिका

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959न्यायालय, नायब तहसीलदार महोदय नरवर के प्र.क. 07/अ–70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

(... Adv)
17.3.15

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यह कि, विवादित भूमि ग्राम धमधोली तहसील नरवर जिला शिवपुरी के सर्वे कं. 1060 रकवा 1.90 हैं., भूमि के संबधं मे अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अधीनस्थ न्यायालय नायव तह. नरवर के समक्ष एक आवदेन पत्र दिनांक 13.08.2014 इस आशय का प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क 07/अ–70/14–15 पर दर्ज किया जाकर नायव तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना एवं पक्ष सर्मथन हेतु कोई अवसर प्रदान किये बिना आवेदकगण के विरूद्ध प्रकरण में अन्तरिम आदेश पारित दिंनाक 10.03.2015 पारित कर दिया गया। उक्त आदेश से दुखित होकर निगरानी निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के आधार :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है क्यों कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना एवं

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 541–तीन/2015 जिला– शिवपुरी

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा नायव तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 07/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10.03.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय आधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी	